प्रेस विज्ञप्ति

29.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि ने करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के हिस्से के रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत थ्रिसुर जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सहित विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं की 29.29 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में 18 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनका मूल्य 28.65 करोड़ रुपये है, जिसमें घोटाले के लाभार्थियों की भूमि और भवन शामिल हैं, जिसमें जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नाम पर पंजीकृत इसके पार्टी कार्यालय के लिए 10 लाख रुपये की अचल संपत्ति शामिल है।कुर्क की गई संपत्तियों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) स्थानीय क्षेत्र समितियों के 8 अघोषित बैंक खातों में 63.62 लाख रुपये के क्रेडिट बैलेंस सहित 8 चल संपत्तियां भी शामिल हैं। सीपीआई (एम) पार्टी को शासी निकाय के माध्यम से दान के रूप में लाभार्थियों से धन प्राप्त हुआ। अपराध की आय सीपीआई (एम) पार्टी के कब्जे में है जिसे अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया गया है और करुवन्नूर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में सीपीआई (एम) पार्टी द्वारा बनाए गए पांच बैंक खातों में जमा किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईपीसी, 1860 की धारा 420 के तहत केरल पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। करुवन्नूर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में धोखाधड़ी के संबंध में त्रिशूर जिले में केरल पुलिस (अपराध शाखा)। करूवन्नुर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक तिरुवनंतपुरम में को-ऑपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार की जांच में था। 2021 में कई प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने अपनी लेखापरीक्षा में घोटाले में जमाकर्ताओं के पैसे के 150 करोड़ रुपये से अधिक के हेराफेरी का पता लगाया।

ईडी की जांच से पता चला है कि करुवन्नूर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा सोसाइटी के सदस्यों की जानकारी के बिना एक ही संपत्ति के गुणकों पर फर्जी ऋण स्वीकृत किए गए थे। जांच से यह भी पता चला है कि अन्य सदस्यों के नाम पर संपत्ति के मूल्यांकन को बढ़ाचढ़ा कर दिखाकर और गैर-सदस्यों को बेनामी ऋण स्वीकृत किए गए थे और इस तरह के ऋण धन को आरोपी लाभार्थियों द्वारा गबन और इसका शोधन किया गया था। पैसे के अंतरण-कड़ी को छिपाने के लिए ऋण राशि नकद में वितरित की गई थी। जांच से यह भी पता चला है कि इस तरह के बेनामी और अवैध ऋण त्रिशूर जिला समिति, सीपीआई (एम) के इशारे पर तत्कालीन बैंक प्रबंधक के साथ मिलकर समिति के सचिव और शासी निकाय के इशारे पर स्वीकृत किए गए थे। बदले में, त्रिशूर जिला समिति, सीपीआई (एम) ने लाभार्थियों और सोसायटी समिति के सदस्यों से दान और वेतन कटौती के रूप में एक ही सोसायटी में अपने अघोषित और अवैध रूप से खोले गए बैंक खातों में धन एकत्र किया। पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए सचिव, त्रिशूर जिला समिति, सीपीआई (एम) द्वारा इन निधियों का उपयोग 10 लाख,रुपये की भूमि की खरीद के लिए किया गया था,जिसे अब अपराध के आगम के रूप में कुर्क किया गया है।

इससे पहले, ईडी ने अपराध की आय का पता लगाने के लिए त्रिशूर में 20 स्थानों और सहकारी बैंकों में 5 सर्वेक्षणों में 10.08.2023, 22.08.2023 और 18.09.2023 को तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम , 2022 के प्रावधानों के तहत 04.09.2023 और 26.09.2023 को चार व्यक्तियों अर्थात् सतीश कुमार, किरण पी पी, अरविंदाक्ष और जेआईएल को गिरफ्तार किया, जो अवैध रूप से स्वीकृत ऋणों के लाभार्थी थे और इस तरह अपराध की आय उत्पन्न करते थे, न्यायिक हिरासत में हैं। जांच के दौरान, ईडी ने पहले बिजॉय से 30.70 करोड़ रुपये और बैंक से अवैध ऋण प्राप्त करने वाले कई अन्य लोगों की 57.79 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। अब तक,इस मामले में ईडी द्वारा कुर्क अपराध की कुल आय 117.78 करोड़ रु. है | ईडी द्वारा नवंबर, 2023 में आरोपपत्र दायर की गई है।

आगे की जांच चल रही है।